FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

मिसल नम्बर :- 204/2021

GCMS नम्बर ....

दावा :– अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प काजड़ा पं.स. बुहाना

उनवानी

मनोज पुत्र बीरबल
ब्राह्मण निवासी भूरीवास

बनाम तहसीलदार, बुहाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आज यह दावा वादी श्री मनोज पुत्र बीरबल ब्राह्मण निवासी भूरीवास की ओर से अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम भूरीवास भूमि खसरा नम्बर 169, 170, 171, 172, 350 किता 5 कुल रकबा 5.02 है० में लीलाराम पुत्र बीरबल दर्ज रेकार्ड है। जो त्रुटि है। मेरा सही ~~नाम~~ नाम मनोज पुत्र बीरबल है। अतः उक्त खाते में मेरा नाम लीलाराम पुत्र बीरबल के स्थान पर मनोज पुत्र बीरबल दुरुस्त किया जावे। दावा बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन अपने बयान पी.डल्ब्यू–1 मनोज, पी.डल्ब्यू–2 दिनेश कुमार पी.ड[illegible] विकास कुमार कलमबद्ध करवाये गये। जमाबंदी सं. [illegible]5–78 व अन्य दस्तावेजात पेश किये गये। तहसीलदार बुहाना से जबाव/जांच रिपोर्ट ली गई।	

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना (राज.) जिला झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 15:07:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

तहसीलदार बुहाना ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम भूरीवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 169, 170, 171, 172, 350, किता 5 कुल रकबा 2.02 है में लीलाधर पुत्र बीरबल दर्ज है जो गलत है। मौके आज में [illegible] जांच पर तथा सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] के प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी के दस्तावेजात के आधार पर लीलाधर पुत्र बीरबल के स्थान पर मनोज पुत्र बीरबल शुद्ध किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। उभय पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी तहसीलदार का जवाब प्रस्तुत कर दावा डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। अतः प्रार्थी द्वारा साक्ष्य सबुत व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम भूरीवास स्थित भूमि खाता संख्या 83 के खसरा नम्बर 169, 170, 171, 172, 350 किता 5 कुल रकबा 2.02 है० में लीलाधर पुत्र बीरबल के स्थान पर मनोज पुत्र बीरबल दुरुस्त किया जाने के अंतिम डिक्री जारी की। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, बुहाना को तहरीर जारी हो। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 [illegible] में मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 16:07:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुन्झुनूं (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 204/2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

निर्णय दिनांक :– 01-12-21

कैम्प खरीवाड़ पं.स. बुहाना

उनवानी

मनोज कुमार पुत्र बीरबल ब्राह्मण, खरीवाड़

.........वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।

.........**प्रतिवादी**

दावा बाबत घोषणात्मक

–:निर्णय:–

वादीगण की ओर से स्वयं की एवं प्रतिवादी सं. की ओर से **तहसीलदार बुहाना** की उपस्थिती में आज तारीख 01-12-21 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" ग्राम खरीवाड़ स्थित भूमि खाता नं. 83 के खसरा नम्बर 169, 170, 171, 172, 350 किता 5 कुल रकबा 2.02 हे० में लीलाराम पुत्र बीरबल के स्थान पर मनोज पुत्र बीरबल पुख्ता किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।"

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 01-12-21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प ....के मजमे आम में सुनाया गया।

खरीवाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 16:07:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर बुहाना
बुहाना जिला-झुन्झुनू (राज.)